




22-5-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत चेंम्प बरडोद पर पेश,
निर्णय अलग से लिखा जा कर शामिल पत्रावली
रिया गया

पत्रावली के सला सुमा [डोकर नम्बर
से कम हो


पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला-भीलवाडा
न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प बरडौद

पीठासीन अधिकारी:-रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या:- 48 / 17

1.-बंशी लाल पुत्र श्री नन्दराम ब्राह्मण

2:-किशनलाल पुत्र श्री नन्दराम ब्राह्मण

3:-भंवरलाल पुत्र श्री नन्दराम ब्राह्मण

4:-श्यामलाल पुत्र श्री नन्दराम ब्राह्मण

5:-मदनलाल पुत्र श्री प्यारचन्द ब्राह्मण

6:-छोटूलाल पुत्र श्री प्यारचन्द ब्राह्मण

7:-मांगीदेवी पुत्री श्री प्यारचन्द ब्राह्मण

8:-गोबर्धन लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल ब्राह्मण जरिये माता श्रीमति कमला पत्नी श्री कन्हैया लाल ब्राह्मण

9:-श्रीमति कमला पत्नी श्री कन्हैया लाल ब्राह्मण

10:-श्रीमति सोहनी देवी पत्नी श्री प्यारचन्द ब्राह्मण

11:-शंकर पुत्र श्री नोला ब्राह्मण

समस्त निवासीयान बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

---प्रार्थीगण

बनाम

1:-गणेश पुत्र श्री भैरु जाट जाति जाट

2:- श्रीकिशन पुत्र श्री भैरु जाट जाति जाट

3:-श्रीमति सोहनी पत्नी श्री गणेश जाट जाति जाट

4:-देबी लाल पुत्र श्री हजारी जाट

5:- चम्पा लाल पुत्र श्री हजारी जाट

6:- कंकू पुत्री श्री हजारी जाट

7:-रुकमा बेवा हजारी जाट जाति जाट सभी निवासीयान बरडौद तहसील हमीरगढ


8:-राजस्थान राज्य जरिए तहसिलदार साहब हमीरगढ

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-22 / 05 / 2018


पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ


पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प बरडौद पर पेश प्रार्थी क ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेद किया है कि ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का बरडौद तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में उसके खात संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 367 कुल किता 1 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि व विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करा जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22/06/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंधदान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।


:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का बरडोद तहसील हमीरगढ़ व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 367 कुल किता 1 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी

किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बरडोद को 500/-रु0 (अक्षरे- पाँच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथारिथिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड हमीरगढ़ एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

प्रतिलिपि:- तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड हमीरगढ़ एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़